न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)

(सुश्री पूजा मीना, आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 77/2025

दायर दिनांकः– 30.04.2025

उनवान

रामफुल पुत्र हरिराम जाति गुर्जर निवासी गांगली तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

–प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)

– प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–

1. प्रार्थी की ओर से श्री बैणीप्रसाद मीना अधिवक्ता उपस्थित।
2. तहसीलदार उनियारा की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः–17.11.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 108 खसरा संख्या 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1220, 1222 कुल किता 15 कुल रकबा 8.7597है0 वाके ग्राम गांगली तहसील उनियारा जिला टोंक में स्थित है। प्रार्थी सही एवं वास्तविक नाम रामफुल पुत्र हरिराम है जो कि प्रार्थी के आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड, राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 32 ग्राम गांगली व अन्य समस्त सरकारी दस्तावेजात इत्यादि मे अंकित है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम रामफुल पुत्र हरिराम के स्थान पर सहवन से बाबूलाल पुत्र हरिराम दज हो गया है, इस कारण प्रार्थी को उक्त भूमि पर के0सी0सी0 बनवाने, सरकारी अनुदान प्राप्त करने व समर्थन मूल्य में कृषि विक्रय करने इत्यादि में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खाता संख्या 108 खसरा संख्या 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1220, 1222 कुल किता 15 कुल रकबा 8.7597है0 वाके ग्राम गांगली तहसील उनियारा जिला टोंक मे प्रार्थी का नाम बाबूलाल पुत्र हरिराम के स्थान पर नाम रामफुल पुत्र हरिराम अंकित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि जिसके अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 108 किता 15 कुल रकबा 8.7597है0 में बाबूलाल पुत्र हरिराम हिस्सा 1/4 जाति गुर्जर साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम रामफुल पुत्र हरिराम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अतः राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 108 किता 15 कुल रकबा 8.7597है0 में प्रार्थी का नाम बाबूलाल पुत्र हरिराम के स्थान पर रामफुल पुत्र हरिराम दर्ज किया जाना उचित है।

पत्रावली बहस हेतु दिनांक 11.11.2025 को पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी तहसीलदार उनियारा की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खाता संख्या 108 खसरा संख्या 1201, 1202, 1203, 1204, 1205,

S.136.428

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

Scanned with CamScanner

1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1220, 1222 कुल किता 15 कुल रकबा 8.7597है0 वाके ग्राम गांगली तहसील उनियारा जिला टोंक में प्रार्थी का नाम बाबूलाल पुत्र हरिराम के स्थान पर नाम रामफुल पुत्र हरिराम अंकित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का आदेश फरमाया जावे। पेरोकार सरकार द्वारा दोहराने बहस कथन किया गया कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 108 किता 15 कुल रकबा 8.7597है0 वाके ग्राम गांगली में बाबूलाल पुत्र हरिराम हिस्सा 1/4 जाति गुर्जर साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम रामफुल पुत्र हरिराम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 108 किता 15 कुल रकबा 8.7597है0 में प्रार्थी का नाम बाबूलाल पुत्र हरिराम के स्थान पर रामफुल पुत्र हरिराम दर्ज किया जाने से राजकीय कोष को हानि नहीं हो रही है। प्रार्थी का नाम बाबूलाल पुत्र हरिराम के स्थान पर रामफुल पुत्र हरिराम दर्ज किया उचित है।

प्रार्थी अधिवक्ता व पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, जनआधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड, पेनकार्ड, पंजाब नेशनल बैंक की बचत खाता पासबुक व राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 108 किता 15 कुल रकबा 8.7597है0 वाके ग्राम गांगली व खाता संख्या 32 किता 34 कुल रकबा 20.1509है0 वाके ग्राम गांगली तहसील उनियारा जिला टोंक का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 108 खसरा संख्या 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1220, 1222 कुल किता 15 कुल रकबा 8.7597है0 वाके ग्राम गांगली तहसील उनियारा जिला टोंक में प्रार्थी का नाम बाबूलाल पुत्र हरिराम के स्थान पर रामफुल पुत्र हरिराम दर्ज किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 108 खसरा संख्या 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1220, 1222 कुल किता 15 कुल रकबा 8.7597है0 वाके ग्राम गांगली तहसील उनियारा जिला टोंक में प्रार्थी का नाम बाबूलाल पुत्र हरिराम के स्थान पर रामफुल पुत्र हरिराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार उनियारा को तहरीर जारी हों।

यह निर्णय आज दिनांक 17.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा, जिला-टोंक
सत्यमेव जयते

पूजा मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक
उनियारा

Scanned with CamScanner